

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक :-एफ १(२)ग्रावि/नरेगा/भा.स./मा.द./२०१०-११

जयपुर, दिनांक: १२।५।।)

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राजस्थान)।

विषय: श्रमिकों को फार्म नम्बर ६ उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने बाबत।

प्रसंग:-विभाग का समसंबंधित पत्र दिनांक ३१.०१.२०११ एवं ४.२.२०११.

महोदय,

आपको ज्ञात ही है कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक १ अप्रैल, २०११ से माह की ५,१३,२० एवं २७ तारीख को ग्राम सचिवालय की बैठक आयोजित की जा रही है। अतः श्रमिक रोजगार मांग पत्र प्राप्त करने संबंधी उक्त निर्देशों के कम में निम्न अतिरिक्त व्यवस्था और स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं :-

१. श्रमिक मजदूरी मांग आवेदन फार्म नम्बर-६ को सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक के अलावा अपने-अपने वार्ड पंच को भी किसी भी कार्य-दिवस में प्रस्तुत कर सकेंगे। वार्ड पंच श्रमिक को फार्म नम्बर-६ की दिनांकित रसीद भी दे सकेंगे।
२. ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों द्वारा प्राप्त किये गये फार्म नम्बर-६ को माह की ग्राम सचिवालय की आगामी बैठक अर्थात् दिनांक ५/१३/२० अथवा २७ तारीख तक प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम सेवक एवं रोजगार सहायक की होगी। इस प्रकार प्राप्त फार्म नम्बर-६ के आवेदकों को ग्राम सचिवालय की आगामी बैठक से १५ दिवस की अवधि में नरेगा अधिनियम की अनुसूची-२ के पैरा-६ अनुसार १५ दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाये जाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।
३. ग्राम सचिवालय की व्यवस्था के मद्दे नजर यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वार्ड पंच द्वारा जिस दिनांक को श्रमिक को रसीद दी जायेगी, उसके अधिकतम छः दिवस पश्चात वह फार्म नम्बर-६ ग्राम पंचायत को प्राप्त हो जायेगा और ग्राम पंचायत द्वारा इसके उपरांत आगामी १५ दिवसों में श्रमिक को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
४. आपके स्तर पर इस नवीन अतिरिक्त व्यवस्था को स्थापित करने की निरन्तर समीक्षा की जावे एवं समस्त वार्ड पंचों के पास पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र-६ उपलब्ध करवा देंवे। इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जावे ताकि श्रमिक अपने ग्राम में ही रोजगार मांग आवेदन पत्र जमा करा सकें।

फार्म नम्बर-६ का मानकीकरण कर प्रारूप भी संलग्न किया जा रहा है। इसी प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावें एवं श्रमिकों की इच्छानुसार गठित पांच-पांच श्रमिकों के समूह में ई-मस्टररोल में श्रमिकों के नाम अंकित किये जावे ताकि इसी अनुसार श्रमिकों को कार्य स्थल पर समूहवार नियोजित किया जा सके।

उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कर विभाग को रिपोर्ट भिजवाई जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक कार्य दिवस पर श्रमिक आसानी से फार्म नम्बर-६ वार्ड पंचों को अथवा ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यकारी अधिकारी) जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

भवद्वीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव
(मुख्य/अतिरिक्त मुख्य)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, इंजीएस
१२।५।।)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला.....**कार्य के लिए आवेदन**

(दिसं नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 का पैरा-9)

प्रेषित

दिनांक

सचिव, ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मुझे/हमें निम्नानुसार अकृशल रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करावे। हम सभी निम्नानुसार 5 श्रमिकों के समूह में काम करने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम	पति/पिता का नाम	जॉब कार्ड नं०	दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए	अवधि		बैंक/जी.एस. एस./पोस्ट ऑफिस मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या	खाता नं०	श्रमिक का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
					माह	पखवाडा			
1									
2									
3									
4									
5									

कम संख्या-1 पर दर्ज आवेदक श्रीसहित अन्यआवेदकों का नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र जरिये वार्ड पंच श्री/श्रीमतीवार्ड संख्यासे दिनांकको प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर ग्राम सेवक/रोजगार सहायक

उसीद

क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम	पति/पिता का नाम	जॉब कार्ड नं०	दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए	अवधि		बैंक/जी.एस. एस./पोस्ट ऑफिस मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या	खाता नं०	श्रमिक का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
					माह	पखवाडा			
1									
2									
3									
4									
5									

उक्त श्रमिकों का महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र दिनांकको प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर
वार्ड पंच वार्ड संख्या /सचिव/रोजगार सहायक नाम.....
ग्राम पंचायतपं.स.....